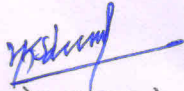


परियोजना की परिधि मे सेन्चुरी क्षेत्र/वन्यजीव विहार या ईको सेन्सेटिव जोन
सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग रा0मा0सं0-92 के किमी0-74.700 से 77.950 तक के भाग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार इटावा रेंज के अन्तर्गत है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशाषी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग इटावा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से नियमानुसार पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।

स्थान- आगरा

दिनांक-20-6-2022


(हरि किशोर शुक्ला)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी, इटावा रेंज
रेन्ज- इटावा (उ.प्र.)


(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0 आगरा।